राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 24)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई]

चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओ में संपत्ति के नुकसान को प्रतिषिद्ध करने के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

यतः राज्य में चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों को क्षति या संकट कारित करने और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओ की संपत्ति को नुकसान पहुचाने के हिंसात्मक कार्य होते रहे है जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में विक्षोम उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवाओ में बाधा होती रही है;

और यतः उक्त अपराधो को संज्ञेय और अजमानतीय बनाकर ऐसे हिंसात्मक क्रियाकलापों को प्रतिशिद्ध करना आवश्यक हो गया है;

अतः अब भारत गणराज्य के उनसठवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** (1)-इस अधिनियम का नाम राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण)अधिनियम, 2008 है।

   (1) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

   (2) यह 4 जून , 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा

अपेक्षित न हो-

(1) 'चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओ' से लोगो को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने वाली वे समस्त संस्थाएं अभिप्रेत है जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों आदि के नियंत्रण के अधीन हैं, और उसमें सम्मिलित है रुग्ण व्यक्तियों के उपचार के लिए सुविधाएं रखने वाला और उन्हें प्रवेश देने या ठहराने के लिए प्रयुक्त कोई प्राइवेट अस्पताल, ऐसा प्राइवेट प्रसूति गृह जहां सामान्यतया महिलाओ को शिशु जन्म या उससे संसक्त किसी बात के संबंध में परिरोध और प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात कि परिचर्या के प्रयोजन के लिए प्रवेश दिया और ठहराया जाता है और किसी भी रुग्णता, क्षति या शैथिल्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश देने और ठहराने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित प्राइवेट नर्सिंग होम जो उपचार या परिचर्या या दोनों उपलब्ध कराते हैं और उसमें कोई प्रसूतिगृह या आरोग्य-गृह आदि सम्मिलित है।

(2) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था के संबंध में 'चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-

(क) चिकित्सा परिचर्या संस्थाओं में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जिसका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हो गया है);

(ख) रजिस्ट्रीकृत नर्सें;

(ग) चिकित्सा छात्र;

(घ) नर्सिंग छात्र; और

(ङ) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में नियोजित और कार्यरत सह-चिकित्सा एवं अन्य सहकर्मी।

(3) `अपराधी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो स्वयं या व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य या मुखिया के रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई हिंसा कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है या उसे करने के लिए उकसाता है।

(4) 'हिंसा' से चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी या रोगी को कोई अपहानि करने, क्षति कारित करने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या प्रतिबाधा कारित करने वाले या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की संपत्ति को नुकसान करने वाले क्रिया कलाप अभिप्रेत हैं।

3. **हिंसा का प्रतिषेध-** चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा का या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में संपत्ति को कोई नुकसान कारित करने वाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाता है।

4. **शास्ति-** ऐसा कोई भी अपराधी जो धारा 3 के उल्लंघन में कोई भी कृत्य कारित करता है, तीन वर्ष की अवधि के कारावास और ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

5. **अपराध का संज्ञान -** धारा 3 के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

6. **संपत्ति को कारित नुकसान के लिए हानि की-वसूली-**

(1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के साथ साथ अपराधी, अपराधी का विचारण कर रहे न्यायालय द्वारा यथा अवधारित क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपस्करों के क्रय मूल्य और संपत्ति को कारित हानि की रकम के दुगुने की शास्ति का दायी होगा।

(2) यदि अपराधी ने उप - धारा (1) के अधीन शास्तिक रकम का संदाय नहीं किया है तो उक्त रकम राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधो के अधीन ऐसे वसूल की जायेगी मानो यह उससे भू - राजस्व की बकाया के रूप में शोध्य थी।

7. **अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना** -इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधो के अतिरिक्त होंगे, न की उसके अल्पीकरण में।

8. **निरसन और व्यावृत्तियां** (1) -राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपति के नुकसान का निवारण) अध्यादेश,2008 (2008 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)- ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किए गये समझे जायेंगे।

एस. एस. कोठारी
प्रमुख शासन सचिव।